न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : अरूण पुरोहित आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 354/2017

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1– नारायण पुत्र सांवलराम 2– पारसमल पुत्र रूगनाथ 3– उमा उर्फ चम्पालाल पुत्र मिसरा 4– अणची देवी बेवा बाबूलाल 5– ओमप्रकाश पुत्र किस्तुरा उर्फ बाबूलाल 6– धनराज पुत्र किस्तुरा उर्फ बाबूलाल 7– भगवतीदेवी पुत्री किस्तुरा उर्फ बाबूलाल 8– पुष्पादेवी पुत्री किस्तुरा उर्फ बाबूलाल 9– शंकर पुत्र मिसरा 10– भंवरलाल पुत्र खीमा सभी जाति घांची निवासीगण बालोतरा पचपदरा जिला बाडमेर		भूमिधारी तहसीलदार पचपदरा जिला बाडमेर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर बालोतरा जो मुकदमा संख्या 102/2014 अनवान नारायण वगैरा बनाम भूमिधारक तहसीलदार बालोतरा मे दिनांक 16–5–2016 को पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1–श्री गुलाब सिह चंपावत अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2–राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 5–11–2020

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांटगण की सरहद मौजा रामसीन तहसील पचपदरा स्थित पुश्तैनी खातेदारी के खेत खसरा नंबरान कमशः 520 रकबा 11.08 बीघा पुराने खसरा नंबर 610 व 611, खसरा नंबर 521 रकबा 5.08 बीघा पुराने खसरा नंबर 611, खसरा नंबर 522 रकबा 14.19 बीघा पुराने खसरा नंबर 611 व 612, खसरा नंबर 543 रकबा 9.12 बीघा पुराने खसरा नंबर 613, 614 व 615 तथा खसरा नंबर 544 रकबा 6 बीघा पुराने खसरा नंबर 629 आई हुई है । जिसका राजस्व रेकर्ड जमाबंदी मे भूमि का रकबा पूर्व सेटलमेंट एवं बाद के सेटलमेंट के रकबे मे कोई कमी–बेसी नही है परंतु पूर्व के सेटलमेंट नक्शे मे तथा मौजुद नक्शे मे घोर अंतर होने के कारण अपीलांटगण ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालोतरा के समक्ष धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त लिपिकीय त्रुटि को सुधारा जाये परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त त्रुटि को लिपिकीय त्रुटि नही मानते हुए अपीलाधीन निर्णय दिनांक 16–5–2016 के द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत धारा 136 आर.एल.आर.एक्ट का प्रार्थना पत्र खारीज कर दिये जाने के आदेश से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है।

वकील अपीलांट एवं राजकीय अधिवक्ता उपस्थित । उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस के दौरान अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को अपनी बहस का अंग सुमार करने का निवेदन किया तथा अपनी बहस के दौरान न्यायालय का ध्यान अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिकाओं की ओर दिलाया तथा आदेशिका दिनांक 6–4–2016 के द्वारा प्रकरण की तारीख पेशी दिनांक 17–5–2016 मुकर्रर की हुई थी परंतु उससे पूर्व ही पत्रावली को दिनांक 16–5–2016 को राजस्व लोक अदालत केम्प मूंगडा मे ले जाकर निर्णय पारित कर दिया, जबकि लोक अदालत मे कोई भी प्रकरण रखने से पूर्व संबंधित पक्षकारो अथवा उसके अधिवक्ता को सूचित किया जाना आवश्यक था ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि हमारी ओर से अधिवक्ता न्यायालय मे उपस्थित हो रहे थे उनको केम्प मे प्रकरण रखने बाबत पत्रावली की आदेशिका पर कोई नोटेड नही करवाया गया और न ही हमे केम्प का नोटिस तामिल हुआ फिर भी अपीलाधीन निर्णय मे वादीगण एवं प्रतिवादीगण को सुनना बताते हुए निर्णय पारित किया गया है, जो विधिविरूद्ध एवं न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तो के विपरीत पारित किया हुआ होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिकाओ अनुसार पत्रावली बहस मे नही होकर सरकारी पैरोकार के जवाब मे चल रही थी परंतु इससे पूर्व ही पत्रावली को केम्प मे रखकर अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया जबकि मेरे प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार का कोई जवाब नही होते हुए तथा बिना कोई खण्डन के मेरा प्रार्थना पत्र खारीज कर दिया, इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस के समर्थन मे 2018 आर.आर.डी. पेज 121 की निर्णय नजीर पेश करते हुए उक्त निर्णय के पैरा 8 को पढकर सुनाया तथा कथन किया कि उक्त निर्णय नजीर मेरे प्रकरण पर लागू होती है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत नही होने से निरस्त करने का निवेदन किया ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत लेण्ड रेकर्ड ऑफिसर (उपखण्ड अधिकारी) को भू प्रबंध की कार्यवाही समाप्त होने के बाद राजस्व रेकर्ड मे हुई त्रुटि को सुधारने की शक्तियां प्रदत्त है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय ने उनके समक्ष प्रस्तुत धारा 136 आर.एल. आर.एक्ट के प्रार्थना पत्र पर जो अपीलाधीन आदेश मे घोषणा का दावा लाने का जो विवेचन दिया गया है, वह विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है इस संबंध मे वकील अपीलांट ने अपनी बहस के समर्थन मे 2002 आर.आर.डी.पेज 336 की निर्णय नजीर पेश की ।

अंत मे वकील अपीलांट ने उक्त अपील को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालोतरा द्वारा दिनांक 16–5–2016 को पारित अपीलाधीन निर्णय को निरस्त कर तहसीलदार पचपदरा को प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमाण्ड करने का निवेदन किया कि प्रथम सेटलमेंट के नक्शे के अनुरूप पुनः तरमीम की जावें ।

उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय को विधिसम्मत बताते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे प्रकरण को लोक अदालत मे रखने बाबत नोटिस जारी किया हुआ पत्रावली पर लगा हुआ है इसलिए अपीलांट का यह कथन कि हमे केम्प का कोई नोटिस नही दिया, सही नही है । इसके अलावा राजकीय अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र के जरिये इस प्रकार की दुरस्ती नही की जा सकती है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत होने से अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध दस्तावेजात तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय आदि का अवलोकन एवं अध्ययन किया तथा बहस के दौरान अपीलांट अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत निर्णय नजीरो का भी अध्ययन किया ।

अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिकाओं का अवलोकन करने पर पत्रावली सरकारी पैरोकार की ओर से जवाब मे चल रही थी तथा पत्रावली मे तारीख पेशी दिनांक 17–5–2016 मुकर्रर थी परंतु अपीलाधीन निर्णय उक्त निर्धारित तारीख पेशी से पूर्व ही दिनांक 16–5–2016 को राजस्व लोक अदालत केम्प मे ले जाकर निर्णय पारित कर दिया जो समर्थन योग्य नही माना जा सकता है ।

इसके अलावा नियमित कोर्ट मे विचाराधीन प्रकरण मे अपीलांटगण की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हो रहे थे तो पत्रावली को कोर्ट केम्प मे ले जाने की सूचना बाबत अपीलांट अधिवक्ता को पत्रावली पर नोटेड करवाना चाहिये था परंतु अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका मे अपीलांट अधिवक्ता को केम्प की सूचना बाबत नोटेड नही करवाया हुआ है हालांकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे प्रकरण को केम्प कोर्ट मूंगडा मे उपस्थित होने बाबत नोटिस जारी अवश्य किया गया है परंतु उक्त नोटिस पर किसी की तामिल रिपोर्ट प्राप्त नही है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अपीलांट को सुनकर किया गया हो, इसकी पुष्टि रेकर्ड से नही होती है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तो के विपरीत होने से समर्थन योग्य नही माना जा सकता है।

अपीलांट अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस के समर्थन मे प्रस्तुत निर्णय नजीर 2018 आर.आर.डी. पेज 121 वर्तमान प्रकरण पर लागू होती है ।

परिणामस्वरूप अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालोतरा द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 16–5–2016 निरस्त कर प्रकरण पुनः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालोतरा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलांटगण को सुनवाई एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए तथा तहसीलदार से राजस्व रेकर्ड एवं मौके की वस्तुस्थिति रिपोर्ट बाबत जवाब तलब कर बाद सुनवाई पुनः अपीलांट के धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर विधिसम्मत निर्णय पारित करें ।

निर्णय आज दिनांक 5–11–2020 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(अरूण पुरोहित)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अति० संभागीय आयुक्त
जोधपुर